न्यायालयः अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या 03, उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी – मनीष कुमार वैष्णव (UID No. RJ00557)
आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

<u>प्रकरण संख्या 98/2024 निगरानी फौजदारी</u>

सानिया सालोदवाला पत्नी साहिर अली, उम्र–व्यस्क, निवासी–32/893, दिल्लीवाला कम्पाउण्ड, लोहा बाजार, उदयपुर (राज.)

–निगरानीकर्ता/प्रार्थीया

<u>विरूद्ध</u>

1– राजस्थान राज्य, जरिए लोक अभियोजक,
2– सिराज हुसैन सनवाडवाला पुत्र अकबर अली, निवासी– 64, खारोल कॉलोनी, उदयपुर (राज.),
3– श्रीमती फरीदा पत्नी सिराज हुसैन सनवाडवाला, निवासी– 64, खारोल कॉलोनी, उदयपुर (राज.)

–गैर निगरानीकर्ता/विपक्षीगण

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र बनाराजगी आदेश दिनांकित 02.04.2024 बमुकदमा 23092/2022 रै.फौ. बउनवान राज्य बनाम साहिर पारित द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या 04, उदयपुर।

उपस्थितः–
1. श्री संजय कोठारी, विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता/प्रार्थीया।
2. श्री गुलजार सिन्धी, विद्वान अधिवक्ता गैर–निगरानीकर्ता/विपक्षी संख्या 02 व 03
3. श्रीमती वन्दना उदावत, विद्वान लोक अभियोजक अपर–गैर निगरानीकर्ता संख्या 01

<u>:: आदेश ::</u> **दिनांक 01.07.2026**

01. यह निगरानी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.04.2024 से व्यथित होकर माननीय सेशन न्यायाधीश, उदयपुर में पेश की गई, जो कालांतर में अंतरित होकर निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

02. निगराकार द्वारा निगरानी याचिका इन आधारों पर पेश की गई है कि निगरानीकर्ती ने विपक्षी संख्या 2 एवं 3 के विरुद्ध धारा 190(2) जा.फौ. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, जबकि उक्त आदेश विधि द्वारा स्थापित न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होकर अपास्त किए जाने योग्य है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया कि अभियुक्त साहिर सनवाडी के विरुद्ध अनुसंधान उपरांत अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. में आरोप पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में तीन अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप लगाए

गए थे। अनुसंधान के दौरान केवल साहिर सनवाडी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया तथा अनुसंधान अधिकारी द्वारा अन्य अभियुक्तगण सिराज हुसैन सनवाडवाला (ससुर) एवं फरीदा सनवाडवाला (सास) के विरुद्ध बिना किसी टिप्पणी के आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि प्रकरण में फरियादिया, उसकी माता समीना सालोदवाला एवं पिता अब्बास अली के धारा 161 जा.फौ. के अंतर्गत दर्ज बयानों में तीनों अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 04.01.2017 को दहेज में 10 लाख एवं स्पोर्ट्स कार की मांग करना तथा फरियादिया को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का कथन किया गया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया सिराज हुसैन सनवाडवाला (ससुर) एवं फरीदा सनवाडवाला (सास) के विरुद्ध अपराध प्रमाणित होने तथा विचारण न्यायालय को आरोप पत्र प्रस्तुत होने के उपरांत भी अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रसंज्ञान लेने का अधिकार होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्वीकार करना भारी कानूनी भूल है। अंत में प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02.04.2024 को अपास्त कर विपक्षी संख्या 02 व 03 को अपराध अंतर्गत धारा 498 ए, 406 भा.द.सं. के तहत आरोपित करते हुये प्रसंज्ञान लेने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

03. बहस निगरानी उभयपक्ष सुनी गई।

04. दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकार ने यह तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों एवं धारा 161 जा.फौ. के बयानों की उपेक्षा करते हुए विपक्षीगण संख्या 2 एवं 3 के विरुद्ध प्रसंज्ञान लेने से इंकार किया, जबकि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से उनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध होता है। अतः प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02.04.2024 को अपास्त कर विपक्षी संख्या 02 व 03 को अपराध अंतर्गत धारा 498 ए, 406 भा.द.सं. के तहत आरोपित करते हुये प्रसंज्ञान लेने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

05. दौराने बहस गैर–निगरानीकर्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध सामग्री का समुचित मूल्यांकन कर विधिसम्मत आदेश पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है। अतः निगरानी याचिका खारिज की जावे।

06. उभयपक्ष के परस्पर विरोधी तर्कों पर मनन किया गया। आलोच्य आदेश, संलग्न दस्तावेज व संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया।

07. हस्तगत प्रकरण में इस न्यायालय को यह देखना है कि ***क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 02.04.2024 अवैध, अशुद्ध एवं औचित्यहीन होने से***

अपास्त किए जाने योग्य है या नहीं ?

08. प्रार्थीया/निगरानीकार द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये –

01. 2004(1) Crimes 651 (M.P),

02. 1977 BBCJ 723,

03. AIR 2013 (SC) 2078,

04. AIR 2001 SC 2747,

05. 2013 (1) Cr. L.R. RAJ. 161,

06. 2008(2) Cr. L.R. RAJ. 1104

सम्पूर्ण अभिलेख के अवलोकन एवं उभयपक्षों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों के संबंध में प्रार्थीया/निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन करे तो उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांतों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मजिस्ट्रेट द्वारा प्रसंज्ञान के स्तर पर एक बार ही मस्तिष्क लगाकर अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाता है। विचारण प्रारम्भ होने से पूर्व आरोप पत्र में जिन व्यक्तियों के नाम अंकित नहीं है, उनके अलावा भी अन्य अभियुक्त के प्रोसेस जारी करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत के क्रम में विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करे तो विचारण न्यायालय द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात दिनांक 10–05–2022 अपराध का प्रसंज्ञान लिया है व पत्रावली बहस आरोप हेतु नियत की गई थी। प्रार्थीया/निगरानीकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 02.4.2024 को चुनौती दी है, जिसमें उसने जिन व्यक्तियों के नाम आरोप पत्र में अंकित नहीं किये गये है, के विरूद्ध अपराध का प्रसंज्ञान लेने व उन्हे तलब किये जाने का निवेदन किया था, जिसमें निगरानीकर्ता/प्रार्थीया द्वारा पीडिता के सास–ससुर को भी तलब करने का निवेदन किया था। दौराने बहस प्रस्तुत किये गये तर्कों के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध गवाह बृजलाल सोनी व अनीस सेफ, जो कि स्वतंत्र गवाह है, के द्वारा फरयादीया के बयानों की पुष्टि नहीं करने और साहिर के द्वारा ही प्रताडित करने के आधार पर अन्य अभियुक्तगण सिराज व फरिदा के विरूद्ध प्रसंज्ञान नहीं लिये जाने का आदेश पारित किया है।

09. विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध गवाह बृजलाल सोनी व अनीस सेफ के पुलिस बयानों का अवलोकन करे तो अपने उपर्युक्त बयानों में दोनों गवाहों ने सानिया के सास–ससुर द्वारा सानिया को दहेज के लिये परेशान करने इत्यादि के संबंध में कोई कथन नहीं किये है। बृजलाल लाल सोनी, जो कि अपने बयानों में सानिया को उसकी भान्जी बताता है और उसे सब कुछ पता होना भी कहता है, ने भी केवल पति द्वारा ही सानिया के साथ मारपीट करने व

तंग करने की बात बताई है। गवाह अनीस सेफ ने भी अपने पुलिस बयानों में साहिर द्वारा सानिया को परेशान करना बताया है। अब्बास भाई द्वारा भी साहीर को टुकड़ों–टुकड़ों में दस लाख रूपये देना बताया है। पत्रावली में उपलब्ध गवाह के बयानों के अवलोकन से जो कि उपर्युक्त दोनो ही गवाह पडौसी व स्वतंत्र गवाह है, को ध्यान में रखते हुये विचारण न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश में उन्ही गवाहों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला है वह त्रूटिपूर्ण प्रतीत नहीं होता है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं सामग्री का अवलोकन कर विधिनुसार बोलता हुआ आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की गुंजाईश प्रकट नहीं होती है।

10. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 02.04.2024 पुष्ट किए जाने योग्य है तथा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

11. अतः निगरानीकर्ता/प्रार्थीया सानिया सालोदवाला की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी याचिका एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा योग्य विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 02.04.2024 की पुष्टि की जाती है। आदेश की एक प्रति मय पत्रावली योग्य विचारण न्यायालय को भेजी जावे।

(मनीष कुमार वैष्णव)
अपर सेशन न्यायाधीश
क्रम संख्या 03, उदयपुर

12. आदेश आज दिनांक 01.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनीष कुमार वैष्णव)
अपर सेशन न्यायाधीश
क्रम संख्या 03, उदयपुर